न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री गारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः— 120 / 2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. महेश चंद पुत्र मंगलाराम जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का वास, बिलाड़ा तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री गोविन्द प्रसाद अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 26/6/25

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा मेव, प0ह0 मेव, भू—अ0नि0 क्षेत्र खारिया नींव तह0 सोजत में प्रार्थी व अन्य सहखातेदार की कृषि भूमि खाता सं0 428 पुराना खाता सं0 421 के ख0नं0 539 रकबा 0.9400 है0 किस्म बा0अ0 में प्रार्थी का माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार का खातेदार काश्तकार है तथा उक्त भुमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम रामेश्वर अंकित है, जबकि प्रार्थी के संपुर्ण दस्तावेजात आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी इत्यादि में नाम महेश चंद अंकित हैं। प्रार्थी का नाम महेश चंद के स्थान पर रामेश्वर दर्ज हो जाने से प्रार्थी का कई सरकारी, अर्द्धसरकारी विभाग में प्राप्त योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है व अन्य लाभो से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिये वादग्रस्त कृषि भूमि के प्रार्थी का नाम रामेश्वर के स्थान पर महेश चंद दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम रामेश्वर के स्थान पर महेश चंद के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाने का आदेश पारित फरमाये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर पैरा सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा मेव में स्थित होना, पैरा सं0 2 से 3 का जबाब प्रार्थी स्वयं न्यायालय में साक्ष्य सबूत पेश कर सावित करना तथा पैरा सं0 4 से 5 का कानूनी होना अंकित किया हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम रामेश्वर के स्थान पर महेश चंद के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाने का आदेश पारित फरमाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य राजस्थान राज पत्र साधारण के 05/06/2025 के अंक 10, जिल्द सं0 77 पर नाम परिवर्तन की घोषणा बाबत प्रकाशित शपथ पत्र में महेश चंद एवं रामेश्वर दोनों ही नाम मेरे ही हैं। जिन दोनो नामों का एकमात्र व्यक्ति मैं ही हूं। प्रार्थी के दस्तावेजी साक्ष्य यथा आधार कार्ड सं0 8025 5457 4481, मतदाता पहचान पत्र सं0 FSF/1870799, राजस्थान सरकार के सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बिलाड़ा (जोधपुर) द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र क्रमांक : न्यायिक/मूल नि.प्र.प/96/172 दिनांक 25.06.97 तथा तहसीलदार, बिलाड़ा द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र क्रमांक : विविध/प्र.प./अनु.जा./श्र.ज.जा./94/ 470 दिनांक 20.08.94 में भी प्रार्थी का नाम महेश चंद पुत्र मंगलाराम दर्ज हैं। अतः इन सभी तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का वास्तविक व दस्तावेजी नाम महेश चंद पुत्र मंगलाराम होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम रामेश्वर पुत्र मंगलाराम के स्थान पर महेश चंद पुत्र मंगलाराम के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाना उचित समझते हैं।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा मेव, प0ह0 मेव, भू–अ0नि0 क्षेत्र खारिया नींव तह0 सोजत के खाता सं0 428 पुराना खाता सं0 421 के ख0नं0 539 रकबा 0.9400 है0 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम रामेश्वर पुत्र मंगलाराम के स्थान पर महेश चंद पुत्र मंगलाराम के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाने का आदेश तहसीलदार सोजत को दिए जाते है, तदोनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 20/6/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत